सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 834 राँची, गुरुवार, 11 कार्तिक, 1938 (श०) / 2 नवम्बर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 अक्टूबर, 2017

विषयः- झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि०) तथा झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) को आवंटित हिस्सा पूँजी की राशि बैंक खाता में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-261(b) को शिथिल करने के संबंध में ।

संख्या- JUTCOL/Fund/16/2017-6709-- झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत सरंचना, विकास से संबंधित योजनाओं के सूत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण से संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या-2601 दिनांक 9 जुलाई, 2013 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि०) का गठन किया गया है ।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-1650 दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा जुडको लिमिटेड की प्रस्तावित प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) की सीमा 50,00,00,000/- रूपये कर दी गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-175 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-176 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 के द्वारा क्रमश:

16,50,00,000/- रूपये तथा 17,50,00,000/- रूपये बतौर हिस्सा पूँजी जुडको लिमिटेड को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

2. इसी प्रकार नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-1294 दिनांक 8 मार्च, 2016 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत् झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) का गठन किया गया है तथा कम्पनी की न्यूनतम अधिकृत पूँजी 1000 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) 500 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है ।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-344 दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-345 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के द्वारा क्रमश: 7.50 करोड़ तथा 7.50 करोड़ अर्थात कुल 15.00 करोड़ रूपये की हिस्सा पूँजी हेतु अनुदान की स्वीकृति दायित्वों के निर्वहन हेतु जुटकॉल लिमिटेड को प्रदान की गई ।

3. जुडको लिमिटेड एवं जुटकॉल लिमिटेड को उक्त स्वीकृत हिस्सा पूँजी पी०एल० खाते में संधारित है । पी०एल० खाते में राशि संधारित होने के कारण कम्पनियों को अपने दैनन्दिनी कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा कम्पनी ससमय अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है ।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (64) के तहत सरकार की हिस्सा पूँजी प्रदत्त तब मानी जाएगी, जब यह राशि उक्त कम्पनी के खाते में अंतरित हो जाए ।

4. उक्त कठिनाईयों को दूर करने हेतु कम्पनियों को बतौर हिस्सा पूँजी स्वीकृत एवं पी०एल० खाता में संधारित राशि बैंक खाते में रखने का मामला सरकार के विचाराधीन था ।

5. सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि०) तथा झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) के पी०एल० खाते से बैंक खाते में हिस्सा पूँजी रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-261(b) में वर्णित प्रावधान 'Money withdrawn as grant-in-aid will not be kept in bank account but as a personal deposite account in the specified treasury' को शिथिल किया जाता है ।

प्रस्ताव पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-2 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 834--200